

## न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या— 506/2014

बउनवान

जमनालाल पुत्र बालचन्द उम्र 40 वर्ष जाति—गूजर निवासी—फूसरा  
तहसील—बारां, जिला—बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां

(रेस्पॉडेंट)

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री जितेन्द्र नागर, अभिभाषक

(अपीलांट)

2. परोकार सरकार

(रेस्पॉडेंट)

निर्णय दिनांक— 16.10.2017



अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 03.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—फूसरा, तहसील—बारां की आराजी खसरा नम्बर 137 रकबा 0.12 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 66/—रूपये अर्थदण्ड एवं 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का पश्चात्वर्ती अतिक्रमी घोषित करने से पूर्व अपीलांट को कब बेदखल किया गया है कोई प्रमाण पत्रावली में मौजूद नहीं है इसलिये पश्चात्वर्ती की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व्यवहार प्रक्रिया के प्रावधानों के विपरीत पारित किया है, उक्त निर्णय परफोर्मा पर आधारित है, जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। अपीलांट का अतिक्रमित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है ना ही अपीलांट की ओर कोई सरकारी तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एकपक्षीय एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पॉडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

जिला कलक्टर  
बारां (राज०)

## न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या— 506/2014

बउनवान

जमनालाल पुत्र बालचन्द उम्र 40 वर्ष जाति—गूजर निवासी—फूसरा  
तहसील—बारां, जिला—बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां

(रेस्पॉडेंट)

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री जितेन्द्र नागर, अभिभाषक

(अपीलांट)

2. परोकार सरकार

(रेस्पॉडेंट)

निर्णय दिनांक— 16.10.2017



अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 03.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—फूसरा, तहसील—बारां की आराजी खसरा नम्बर 137 रकबा 0.12 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 66/—रूपये अर्थदण्ड एवं 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का पश्चात्वर्ती अतिक्रमी घोषित करने से पूर्व अपीलांट को कब बेदखल किया गया है कोई प्रमाण पत्रावली में मौजूद नहीं है इसलिये पश्चात्वर्ती की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व्यवहार प्रक्रिया के प्रावधानों के विपरीत पारित किया है, उक्त निर्णय परफोर्मा पर आधारित है, जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। अपीलांट का अतिक्रमित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है ना ही अपीलांट की ओर कोई सरकारी तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एकपक्षीय एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पॉडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

जिला कलक्टर  
बारां (राज०)